भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 480
दिनांक 04 फरवरी, 2021 को उत्तर के लिए

कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा

480. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:
डा. प्रकाश बांडा:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा की घटनाओं में वृद्धि हुई है;
(ख) क्या यह सच है कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा की शिकायतें विगत दस वर्षों में सबसे अधिक रही हैं;
(ग) क्या विगत पांच वर्षों के दौरान महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा के कुल मामलों में वृद्धि हुई है;
(घ) लॉकडाउन और अनलॉक-1 से अनलॉक-5 की प्रक्रिया के दौरान पूरे देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार घरेलू हिंसा के कितने मामले सामने आए हैं; और
(ड.) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (ड़) : राष्ट्रीय अपराध रिकोर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपने प्रकाशन ''भारत में अपराध'' में अपराधों से संबंधित सूचना का संकलन और प्रकाशन करता है। ये प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2019 तक उपलब्ध है। पूरे देश में सूचित मामलों की कुल संख्या का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्योरा राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की वेबसाइट https://ncrb.gov.in. पर उपलब्ध है।

''पुलिस और न्याय व्यवस्था'' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले राज्य के विषय हैं। राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखने, महिलाओं सहित अन्य नागरिकों के जीवन और संपति की सुरक्षा करने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का होता है । राज्य सरकारें कानून के विस्तारित प्रावधान के अंतर्गत इन अपराधों से निपटने में सक्षम होती हैं। हालांकि सरकार ने कोविड-19 लॉकडाऊन के दौरान इस संबंध में कई पहलों की शुरूआत की है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि महिला केंद्रित कानूनों जैसे कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 आदि के अंतर्गत वन स्टाप केंद्रों (ओएससी), महिला हेल्पलाइन का वैश्वीकरण (डब्ल्यूएचएल), उज्ज्वला गृह, स्वाधार गृह, बाल देखरेख संस्थाएं, चाइल्ड लाइन (1098), आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (112) जैसी अपनी संस्थाएं और विभिन्न वैधानिक प्राधिकरणों इस अवधि के दौरान महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए प्रचालनरत और उपलब्ध रहें । इसके अलावा , लॉकडाउन के दौरान , राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संकट का सामना करने वाली महिलाओं की सहायता के लिए उपाय किए।

*****